निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-56 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़** के माह **05/2012** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री सूर्य पाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **08.03.2017** से **14.03.2017** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथमलेखापरीक्षा है।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **05/2012** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ़**
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

र

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	0	0	0	0	25404000	24647573		756427
2013-14	0	0	0	0	38936000	37048292	0	1887708
2014-15	0	0	0	0	40774000	36964930	0	3809070
2015-16	0	0	0	0	45960907	42535019	0	3425888
2016-17 (02/2017 तक)	0	0	0	0	32021216	30069464	0	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(iii) इकाई को बजट आवंटन **<u>राज्य सरकार</u>** द्‌वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '**<u>सी</u>**' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़</u>** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2013, 03/2014, 03/2015 एवं 03/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। .... योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13, 14 व 16**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 16.30 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 2.54 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 (फरवरी-17 तक) आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 16.30 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 2.54 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि	आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि पर संग्रह व्यय की अवशेष धनराशि
2012-13 तक	79117	313102
2013-14 तक	827270	172206
2014-15 तक	139070	123839
2015-16 तक	474428	288881
2016-17 तक	**1630115**	**254349**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-2 ₹ 1712.65 लाख के बजट व्यय के लिए रोकड़बही न बनाया जाना।

Central Government Account (Receipts and Payments) Rules-1983 के नियम संख्या 13 (1 से 5) में उल्लेखित वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी कार्यालय एवं संस्था को कार्यालयी प्राप्त बजट एवं व्यय के संव्यवहार का रखरखाव रोकड़बही में किया जाना चाहिए जिसके संव्यवहारों का मासिक सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) के वेतन भत्तों, 11-सी पंजिका तथा बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 05/2012 से 02/2017 बजट का आबंटन एवं व्यय किया गया-

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2012-13	**-**	**-**	25404000	24647573
2013-14	**-**	**-**	38936000	37048292
2014-15	**-**	**-**	40774000	36964930
2015-16	**-**	**-**	45960907	42535019
2016-17 (02/2017तक)	**-**	**-**	32021216	30069464
योग				**171265278**

अग्रेतर रोकड़बही हेतु जांच में वर्ष 2012-13 से 2016-17 (01/2017 तक) कुल **₹171265278** के व्यय हेतु रोकड़बही नहीं बनाया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जानकारी के अभाव में कैशबुक का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, भविष्य हेतु नोट किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्यालय/संस्था द्वारा कार्यालयी बजट एवं संव्यवहारों का रखरखाव रोकड़बही में न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-3 ₹ 217.63 लाख का अनियमित वितरण में प्रक्रिया का पालन न करना।

दैवीय आपदा के अन्तर्गत पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए तैयार किये गये तत्सम्बन्धित पी-20 में भवन की फोटोग्राफ अवश्य रुप से लगी होनी चाहिए तथा पंजिका में प्राप्तकर्ता के व कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।

संबन्धित पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 तक पूर्ण क्षतिग्रस्त/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए धनराशि वितरण के पूर्व संबन्धित पी-20 के साथ भवन के फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये हैं।

विवरण निम्न है-

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**	**मद (गृह निर्माण)**	**वितरित की गयी धनराशि (₹ लाख में)**
2016-17	17	पूर्ण क्षतिग्रस्त	30.75
2016-17	114	तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त	186.88
योग	**131**	**-**	**217.63**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया कि संबन्धित फोटोग्राफ जिला मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी-20 तहसील से संबन्धित अभिलेख होते हैं, इनका रखरखाव तहसील में ही होना चाहिए।

प्रकरण प्रक्रिया का पालन कराने हेतु उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

1. संग्रह व नजारत अनुभाग की सेवा-पुस्तिकाएं।

2. माह 12/2013, 03/2014 एवं 03/2015 के व्यय सम्बंधी वाउचर्स कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। विवरण निम्न है

दिनांक	**वाउचर संख्या**	**धनराशि (₹ में)**
05.03.2013	B20290002	4700
19.03.2013	B20290046	2700
19.03.2013	B20290047	4000
19.03.2013	B2029048	2692
18.03.2014	B20290008	5000
18.03.2014	B20290009	1330
18.03.2014	B20290010	1500
18.03.2014	B20290011	1400
18.03.2014	B20290012	2027
19.03.2014	B20290013	2000
19.03.2014	B20290028	2100
21.03.2014	B20290022	2000
21.03.2014	B20290023	6630
13.03.2015	B20290008	8114
योग		**46259**

1. **सतत् अनियमितताएः** **<u>शून्य</u>**
2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः**

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत समय अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री बी.एल.राणा	उपजिलाधिकारी	06.10.2010	06.06.2012
2.	श्री नरेश दुर्गापाल	उपजिलाधिकारी	06.06.2012	18.06.2012
3.	श्री भगत सिंह	उपजिलाधिकारी	18.06.2012	06.06.2014
4.	श्री जयभारत सिंह	उपजिलाधिकारी	01.07.2014	27.11.2015
5.	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	14.01.2016	14.10.2016
6.	श्री मनुज गोयल	उपजिलाधिकारी	02.11.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **<u>कार्यालय उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ</u>** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र